Statement

Prescribed Standard for potable waters sold under different brand names and different nomenclature

A. 32-Mineral Water:

1. Natural Mineral water means the mineral water obtained directly from potable natural or drilled sources like spring, artesian well, drilled well or from an underground formation and not from public water supply. It shall be free from dirt, foreign matter of any other ingredients injurious to health. It shall not be transported in bulk container for packaging or any other processing before packing.

2. Fortified mineral water means the water derived from any source of potable water which may be blended treated/ fortified with mineral salts.

Mineral water shall be packed in clean and sterile containers.

Mineral water shall also conform to the following standards, namely:—

Turbidity (not more than) (NTU)	—5
Total dissolved solids (not more than) mg/1	—1500
pH Value	—6.5—8.5
Copper (Cu/mg)/1 (not more than)	—1.0
Iron (as Fe) mg/1 (not mroe than)	—0.3
Nitrate (as No 3), mg/1 (not more than)	—45
Residual Free Chloring mg/a (not more than)	—0.2
Fluoride (as F) mg/1 (not more than)	—1.5
Mercury (as Hg) mg/1 (not more than)	—0.001
Cadmium (as Cd) mg/1 (not more than)	—0.01
Arsenic (as As) mg/1 (not more than)	—0.05
Cyanide	—absent
Lead (as Pb) mg/1 (not more than)	—0.05
Mineral Oil	—absent
Chromium (as Cr) mg/1 (not more than)	—0.05
Chlorides (as Cl) mg/1 (not more than)	—200
Sulphates (SO_4) mg/1 (not more than)	—250
Alkalinity (as HCO_2)— mg/1 (not more than)	—600
Yeast & mould count	—absent
E coli	—absent
Salmonella and Shigella	—absent
Clostridium Welchil C.	—absent
Botulinum Bacillus cereus	
Vibrocholerae and V. Parahaemolyticus	—absent

मध्य प्रदेश में क्षयरोग से पीड़ित व्यक्ति

4047. **श्री अजीत जोगी:**
डा० जगन्नाथ मिश्र:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्षय रोग से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) राज्य में क्षयरोग की रोकथाम के लिए 1997-98 के दौरान शुरू किए जाने वाले कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कोई सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो 1996-97 में केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है और 1997-98 के लिए राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी० खलप): (क) राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पाए लगाए गए क्षय रोग के नए रोगियों की संख्या अलग-अलग सूचित नहीं की जाती है। तथापि, मध्य प्रदेश राज्य में 1996-97 के दौरान पता लगाए गए सूचित किए गए नए रोगियों की संख्या 30,858 है।

(ख) संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम मध्य प्रदेश के भोपाल और विदिशा जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है और इसे 1997-98 के दौरान जारी रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त पहले ही 1997-98 के दौरान शार्ट कोर्स कैमोथिरेपी कार्यान्वित कर रहे 8 जिलों में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया जाएगा ताकि उन्हें बाद में संशोधित कार्यनीति अपनाने हेतु तैयार किया जा सके। केन्द्र सरकार द्वारा क्षय रोगियों का उपचार करने हेतु क्षय रोग-रोधी औषधें भी प्रदान की जाएंगी।

(ग) और (घ) वस्तुगत सहायता प्रदान करने के प्रयोजनों हेतु मध्य प्रदेश राज्य के लिए 1996-97 के दौरान 121 लाख रुपये का आबंटन किया गया और वर्ष 1997-98 के लिए 325 लाख रुपये के आबंटन का प्रस्ताव किया गया है।

Aids Control Programme in Madhya Pradesh

4048. SHRI AJIT P.K. JOGI:
SHRI RAMJI LAL:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) what is the number of AIDS cases detected in Madhya Pradesh till now;

(b) the datails of hospitals in the state in which AIDS testing facilities are available;

(c) whether the Central Government have introduced the AIDS control programme in Madhya Pradesh with the help of foreign assistance;

(d) whether the Central Government have reviewed this programme; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI RAMAKANT D. KHALAP): (a) As per the records available with the National AIDS Control Organisation 119 AIDS cases have been detected in Madhya Pradesh till the end of April, 1997.

(b) Three hospitals one each in Bhopal, Indore and Jabalpur are having the facilities of testing the AIDS cases in Madhya Pradesh.

(c) The AIDS prevention and control programme is being implemented as 100% Centrally Sponsored Scheme through States/UTs with World and credit of U.S. Dollar 84 million. Government of Madhya Pradesh has also been implementing the programme alongwith other states/UTs.

(d) and (e) The programme is reviewed from time to time in the meeting of the National AIDS Control Board, National AIDS Committee, Central Council of Health and Family Welfare as well as in the Meetings of the State AIDS Programme Officers. In addition officials from Government of India continuously interact with the State Government Officers for the implementaion of the programme.

मलेरिया रोग पर काबू पाने के लिए मध्य प्रदेश को केन्द्रीय सहायता

4049. **श्री दलीप सिंह जूदेव:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को वर्ष 1995-96 के दौरान मध्य प्रदेश में मलेरिया रोग के तेजी से फैलने तथा बड़ी संख्या में लोगों का इस रोग से पीड़ित होने तथा मृत्यु होने की जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश सरकार ने इस रोग पर काबू पाने के लिए केन्द्रीय सरकार से किस प्रकार की सहायता मांगी है और मलेरिया की रोकथाम, उपचार तथा इसके उन्मूलन हेतु तैनात किए गए कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार की इस संबंध में किस प्रकार की सहायता प्रदान की है; और

(घ) मध्य प्रदेश सरकार को मलेरिया रोग के पुनः फैलने से रोकने, उसके उपचार तथा प्रतिरोधात्मक क्षमता का विकास करने हेतु प्रदान की जा रही केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी० खलप): (क) से (घ) मध्य प्रदेश राज्य में पिछले वर्षों की तुलना मे 1996 के दौरान मलेरिया के रोगियों की संख्या तथा मलेरिया से हुई मौतों की संख्या में कुल मिलाकर वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश सरकार को 1995-96 के दौरान कार्यक्रम के केन्द्रीय हिस्से के रूप में 1228.26 लाख रुपये की राशि कीटनाशी, लार्वानाशी औषधों तथा सूक्ष्मदर्शी यन्त्रों के रूप में केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम केन्द्रीय प्रायोजित 50:50 की लागत हिस्सेदारी योजना है। रिकार्डों के अनुसार राज्य को स्वीकृत की गई वस्तुओं के अतिरिक्त उसके द्वारा कोई विशेष अनुरोध नहीं किया गया । मलेरिया से प्रतिरक्षण के लिए कोई वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं है।